

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाडा

पीठारसीन अधिकारी :- मधीपालसिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 27/2021 प्रा० पत्र

1- काना, सुरैग पिडा हेमा, कुंभी पत्नी हेमा जाति बलई निवासी
-प्रार्थी।
वनाम

1- श्री. शिव गौशर्या लाडूवास, नष्ट करेड़ा, जिला - भीलवाडा व अन्य
विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० मू० रा० अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 16/03/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० मू० राज० अधि० 1956
तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाडूवास पटवार हल्का लाडूवास मू० अ० नि० क्षेत्र
बेगली में उनके खाता संख्या 64 की आ० नं० 3365/2773 इल. किल. 1

रकबा 1.0117 हे० स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के
व्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता
है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/03/21 को पंजीयत किया जाकर
करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे कारत की होने
से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार
की हंरा-फंरी होने का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन
व्यो का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया
जाकर ग्राम लाडूवास पटवार हल्का लाडूवास मू० अ० नि० क्षेत्र बेगली में उनके खाता
संख्या 64 की आराजी नम्बर 3365/2773 इल. किल. 1 रकबा 1.0117 हे०

भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा
की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ० नि० बेगली को 550/-
पर कमीशनर फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावे।
कमीशनर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में गौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते
हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फराल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की
जावे।

प्रार्थना पत्र प्रति।



नियमितः न्यायालयदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा



उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा